

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, सीतापुर।

सी आई एस नम्बर-2569 / 2021

उ० प्र० राज्य **बनाम** दिलीप कुमार
धारा-एम० वी० एक्ट
थाना-खैराबाद
जिला-सीतापुर।

निस्तारण जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र

दिनांक-29-04-2023

आवेदक दिलीप कुमार की ओर से उक्त वाद में जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन संख्या-यू० पी०-34-ए टी-0026 को चला रहा था।

उक्त वाद के अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। अभियुक्त ने जुर्माना की धनराशि एक हजार रुपये (मु०-1,000/- रुपये) जमा कर दी है। चूंकि उक्त वाद के अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, ऐसी दशा में वाद को चलाया जाना न्यायोचित नहीं है।

आदेश

जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद समाप्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल अभिलेखागार की जाय।

(अभिनव श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
सीतापुर।

(J.O. Code: UP-2489)

राम रहीस